राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

86वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1	85वीं बैठक दिनांक 27.07.23 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR)
एजेण्डा संख्या – 2	85वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि
एजेण्डा संख्या – 3	वार्षिक ऋण योजना 2023–24 एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि
एजेण्डा संख्या – 4	रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 5	(क) एन.पी.ए. की समीक्षा (ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (R.C.)
एजेण्डा संख्या – 6	(i) वित्तीय समावेषन : (क) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग (ख) बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित गांव (ग) Aspirational Block (घ) VIBRANT Village (ङ) Special DLRC Meeting and identificational of Credit Deficient District (च) Expanding and Deepening of Digital Payment Ecosystem (ii) सामाजिक सुरक्षा योजना (iii) जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान (iv) वित्तीय साक्षरता हेतु केन्द (CFL) (v) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC)
एजेण्डा संख्या – 7	नाबार्ड का एजेण्डा
एजेण्डा संख्या – 8	कृषि ऋण (क) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) (ख) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (KCC saturation Campaign)
एजेण्डा संख्या – 9	विविध ऋण (क) एम.एस.एम.ई. (MSME) (ख) इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीद (e-NWR) (ग) मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) (घ) षिक्षा ऋण (ङ) प्रधानमंत्री आवास योजना (षहरी)
एजेण्डा संख्या – 10	ऋण जमा अनुपात
एजेण्डा संख्या – 11	Provision and Applicability of Shops & Establishment (S&E) Act on Banks
एजेण्डा संख्या – 12	Land Digitalization
एजेण्डा संख्या – 13	ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान (RSETIs)
एजेण्डा संख्या – 14	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
एजेण्डा संख्या – 15	बाजार की बुद्विमत्ता (Market Intelligence)
एजेण्डा संख्या – 16	RBI Presentation
एजेण्डा संख्या – 17	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

86वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 :

(क) 85वीं बैठक दिनांक 27.07.23 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

क्र	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1.	**षासन से संबंधित कार्य बिंदु**	
	(क) वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से स्वामित्व कार्ड विषयक दिषानिर्देष समस्त बैंकों के कार्पोरेट कार्यालय को जारी किये जाने हैं। **(कार्यवाही : वित्त विभाग)**	**(क)** संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं डी.जी., ग्रामीण विकास बैंकर्स संस्थान की सह अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2023 को स्वामित्व कार्ड विषयक Round Table Conference का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिसमें वित्तीय सेवायें विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण विकास बैंकर्स संस्थान, राज्य सरकार एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रतिभागिता की गयी तथा SoP तैयार करने हेतु निर्देषित किया गया है।
	(ख) पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत बैंक षाखाओं द्वारा निरस्त ऋण आवेदन पत्रों को विभाग पुनः Re-generate करेंगे। **(कार्यवाही : षहरी विकास विभाग)**	**(ख)** माननीय राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.09.2023 को वाराणसी, उत्तर प्रदेष में पी.एम. स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक में निर्देषित किया गया है कि पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत किसी भी कारण से ऋण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत/वापस नही किया जायेगा। योजना अंतर्गत विभाग से प्राप्त लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची सम्बन्धित बैंकों को निष्पादन हेतु प्रेषित की गयी है।
	(ग) विभाग एन.एल.एम. योजना अंतर्गत पोर्टल एवं पासवर्ड विषयक बैठक बैंकों के साथ आयोजित करेंगे। **(कार्यवाही : पशुपालन विभाग)**	**(ग)** विभाग से एन.एल.एम. योजना अंतर्गत पोर्टल एवं पासवर्ड विषयक बैठक बैंकों के साथ आयोजित की जानी अपेक्षित है।
2.	**बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :** बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 44 गांवों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं सहकारी बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध की जानी है।	राज्य के 44 गांवों में से 21 गांवों में कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होने पर आई.पी.पी.बी. द्वारा तथा षेष 23 गांवों (44–21) को ग्रामीण बचत केन्द्र, जो कि निबन्धक, सहकारिता के क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रचालित किये जाते हैं, के माध्यम से बैंकिंग सेवायें प्रदान की जायेगी।

एजेण्डा संख्या – 2 :

85वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 85वीं बैठक, दिनांक 27 जुलाई, 2023 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित उप–समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान लिया गया है।

उप–समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण निम्नवत है :

1. Steering Sub-Committee की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2023

2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2023

प्रमुख विन्दु –

अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

- एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों को लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।
- समस्त बैंक लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का एक माह में निस्तारण करेंगे।
- एन.आर.एल.एम. योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु बैंक, बैंक सखी एवं विभाग का सहयोग प्राप्त करें।

3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2023

प्रमुख विन्दु –

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

- सम्बन्धित विभाग, योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के 150 प्रतिषत ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।
- उद्योग विभाग, merger बैकों के नाम पोर्टल से हटाने हेतु कार्यवाही करें।
- बैंक, आगामी अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक से पूर्व लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
- पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत, निकायों द्वारा वैण्डरों को Letter of Recommendation (LoR) जारी करने के उपरांत, बैंकों द्वारा ऋण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत/वापस न किया जाय।
- पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत, पूर्व में Rejected / Returned किये गये 7436 ऋण आवेदकों से बैंक सम्पर्क कर ऋण निस्तारण की कार्यवाही करें।

4. Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion / New Branch Opening हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 21 सितम्बर, 2023

प्रमुख विन्दु –

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

- टेलीकॉम विभाग, बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित 37 गांवों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य करें।
- विद्युत विभाग, बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित 17 गांवों में विद्युत सुविधा उपलब्ध करायें।
- सहकारी बैंक, बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित 23 गांवों की सूची, इन सूचनाओं के साथ षासन को उपलब्ध करायें कि किन–किन गांवों में आर्थिक व्यवहार्यता, गैर आवादी क्षेत्र, नेटवर्क कनेक्टिविटी, विद्युत सुविधा आदि हैं अथवा नही है।
- बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित 23 गांवों में से किन–किन गांवों में ग्रामीण बचत केन्द्र के माध्यम से बैंकिंग सेवायें उपलब्ध करायी जा सकती है, की सूची सहकारी बैंक उपलब्ध करायें।

5. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2023

प्रमुख विन्दु –

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

- बैंक अनुचित कारणों से ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त ना करें।
- त्रुटियों के निराकरण करने हेतु आवेदकों से सम्पर्क करें तथा ऋण आवेदन पत्रों का निष्पादन करें।

एजेण्डा संख्या – 3 :

वार्षिक ऋण योजना 2023–24 एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

विगत 3 वर्षो की वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

(Amt. in Cr.)

F.Y.	Crop Loan			Term Loan			Farm Sector			Non Farm Sector (MSME)			Other Priority Sector			Total PSA		
	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age
	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%
2023-24	7646	1697	**22**	5500	2034	**37**	13146	3731	**28**	17506	8972	**51**	4287	790	18	34939	13494	**39**
2022-23	7334	5649	**77**	5217	4704	**90**	12551	10353	**82**	11994	15911	**133**	4115	4160	101	28660	30424	**106**
2021-22	7181	5208	**73**	5118	3631	**71**	12298	8839	**72**	10454	10055	**96**	3859	2378	**62**	26611	21272	**80**
2020-21	7952	4098	**52**	5271	2396	**45**	13222	6493	**49**	8851	8624	**97**	3721	1177	**32**	25794	16294	**63**

Source : SLBC Revamp Portal

विगत 3 वर्षो में राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक है।

एजेण्डा संख्या – 4 :

रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रथम त्रैमास की प्रगति **(F.Y. 2023-24)** :

Scheme		Annex.	Target	Received	Sanctioned	Disbursed		% of Disbursement	Returned	Pending
			No.	No.	No.	No.	Amt. (In Cr.)	%	No.	No.
PM SVANidhi		**1**	33880	30953	22297	21503	---	63	7850	754
AIF (Target Rs. 471 Cr. upto 2023-24)		**2**	---	294	171	135	80.71	46	88	35
MUDRA		**3**	Rs. 2500 Cr.	---	---	49699	632.57	25	---	---
NULM		**4**	500	115	78	78	1.21	16	10	27
PMFME		**5**	706	205	56	76	4.07	11	36	113
NRLM		**6**	30000	6239	560	---	---	---	167	5512
Stand-up India		**7**	2174	87	87	87	13.91	4	---	---
PMEGP		**8**	1273	1084	366	140	10.77	11	186	532
				Margin Money Target : Rs. 41.37 Cr. **Margin Money Claimed :** Rs.14.15 Cr**. (34%)**						

Source : PM SVANidhi, MUDRA, NULM, NRLM, PMEGP – Department Portal, Stand-up India – Banks, PMFME & AIF – Deptt.

- SCP - SC योजना के स्थान पर PM AJAY योजना प्रारम्भ की जानी है, जिसमें एस.सी. वर्ग के आवेदकों को एस.एच.जी. ग्रुप में वित्तपोषित किया जाना है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 हेतु PM AJAY योजना की कार्य योजना निम्नवत है :

Sr	Intervention	Total No. of Project	Total No. of Beneficiaries	Project Cost under Grants in Aid (Amt. in Rs.)
1	Income Generation Activity	135	3316	16,54,25,000.00
2	Skill Development	52	4649	4,66,74,000.00

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रथम त्रैमास की प्रगति (F.Y. 2023-24) :

Scheme		Annex.	Target	Received	Sanctioned	Disbursed		% of Disbursement	Returned /Rejected	Pending
			No.	No.	No.	No.	Amt. (In Cr.)	%	No.	No.
MSY		**9**	8000	3711	2632	845	---	11	5208	4090
Home Stay		**10**	225	142	17	17	5.21	8	8	117
VCSGSY	Vehicle	**11**	150	103	22	17	3.07	11	10	71
	Non Vehicle	**12**	100	50	7	4	0.50	4	4	39
MSY – Nano		**13**	5000	543	1041	123	---	2	1087	566

Source : VCSGY – Banks, Home Stay – Department, MSY & MSY – Nano – Department Portal

- सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से डेढ़ गुणा ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।
- बैंकों से आग्रह है कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करें।

एजेण्डा संख्या – 5 :

(क) एन.पी.ए. : **(Annex. - 14)**

(Amt. in Cr.)

	Total NPA		Total Advances		NPA Position (%)	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C (%)	Amt. (%)
As on 30th June, 2023	1,81,952	4,587.23	24,47,717	86,939.94	7.43	5.28
As on 31st March, 2023	1,90,830	4,716.66	22,17,193	76,216.51	8.61	6.19

Source : SLBC Revamp Portal

(Amt. in Cr.)

S. No.	NAME OF SCHEME	As on 31st March, 2023						As on 30th June, 2023				
		Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%		Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%
		No.	Amount	No.	Amount	%		No.	Amount	No.	Amount	%
1	Education Loan	19412	902.31	1284	33.91	**3.76**		20797	1077.69	1145	29.16	**2.71**
2	NRLM	21250	116.14	944	5.75	**4.95**		20032	105.41	1178	6.05	**5.74**
3	PMEGP	6907	199.57	887	19.76	**9.90**		7002	200.39	1028	24.20	**12.08**
4	NULM	4003	35.38	712	5.19	**14.67**		3691	34.08	738	5.52	**16.20**
5	Stand-up India	9316	215.27	208	31.66	**14.71**		1442	217.84	268	36.16	**16.60**

(Source : SLBC Revamp Portal)

बैंकों में एन.पी.ए. की स्थिति चिन्ताजनक है तथा बैंकिंग को संपोषणीय (sustainable) बनाने हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे बैंक के एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु बैंकों का सहयोग एवं सार्थक प्रयास करें, जिससे कि बैंक षाखायें सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण वितरण हेतु उत्साहित हों।

- बैंक स्थानीय स्तर पर प्रषासन से समन्वय करते हुये बैंक के एन.पी.ए. कम करने का प्रयास करें।
- बैंक तहसील से आर.सी. का मिलान करें तथा ऋण राषि की वसूली हेतु अमीनों का सहयोग प्राप्त करें।

(ख) लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (R.C.) :

Progress as on 30.06.2023 **(Amt. in Cr.)**

Sr.	District	RCs Pending								Total RCs Pending		Recovery agt. RC 01.04.23 to 30.06.23		% Recovery agt. RC lodged
		Less than 1 Year		1 to 3 Years		3 to 5 Years		More than 5 Years						
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
1	Uttarkashi	459	4.28	190	1.01	75	0.23	11	0.03	735	5.55	58	0.45	8.11
2	New tehri	106	0.97	339	3.63	498	2.85	456	4.17	1399	11.62	142	0.73	6.27
3	Pauri	646	6.05	502	2.53	65	0.98	14	0.09	1227	9.65	97	0.86	8.91
4	Chamoli	149	0.84	359	1.77	144	0.87	97	1.41	749	4.89	30	0.14	2.86
5	Pithoragarh	770	5.06	884	6.74	853	4.25	110	0.43	2617	16.48	104	0.95	5.74
6	Rudraprayag	273	1.66	191	1.07	86	0.22	23	0.06	573	3.01	17	0.38	12.60
7	Bageshwar	23	0.03	84	1.01	107	1.04	28	0.56	242	2.64	10	0.17	6.47
8	Champawat	116	0.51	131	0.52	130	0.30	18	0.07	395	1.40	36	0.21	15.37
9	Almora	952	6.62	373	4.07	147	1.13	103	0.37	1575	12.19	105	0.90	7.36
10	Dehradun	3627	63.30	914	12.91	862	9.97	0	0.00	5403	86.18	4151	57.35	66.55
11	Haridwar	330	2.03	578	3.55	413	2.54	330	2.03	1651	10.15	337	3.43	33.85
12	Nainital	321	10.23	244	9.33	109	5.84	225	4.06	899	29.46	183	2.31	7.82
13	U.S.Nagar	458	6.41	448	5.49	102	4.39	0	0.00	1008	16.29	263	5.46	33.56
Total		**8230**	**107.98**	**5237**	**53.63**	**3591**	**34.62**	**1415**	**13.29**	**18473**	**209.51**	**5533**	**73.34**	**35.01**

(Source : LDMs)

- बैंक तहसील दिवस में भागीदारी करें तथा अपने बैंक की आर.सी. से सम्बन्धित विषय पर ए.डी.एम., वित्त एवं तहसीलदार से चर्चा करें।
- बी.एल.बी.सी. बैठक में अनिवार्य रुप से नायब तहसीलदार को भी आमंत्रित किया जाय तथा आर.सी. में वसूली हेतु सहयोग की अपेक्षा की जाय।
- बैंकों से आग्रह है कि वे ऑनलाईन दर्ज की गयी आर.सी. का मिलान तहसील से अवष्य करें।
- षासन से आग्रह है कि आर. सी. अंतर्गत वसूल राषि को पोर्टल में दर्ज कराने की व्यवस्था करें।

एजेण्डा संख्या – 6 :

(i) वित्तीय समावेषन : NSFI के मुख्य कार्यबिन्दु निम्न हैं :

(क) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग :

Business Correspondent विषयक प्रगति निम्नवत है : **(Annex. - 15)**

		Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
	Bank	4812	3942	866	3403	1407
As on 30.06.23	IPPB	153	43	110	56	97
As on 31.03.23	Bank	4502	3979	499	3050	1452

Source : Banks

CSC e-governance की बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट विषयक प्रगति, दिनांक 30.06.2023 :

Sr.	Bank Name	Total BC	Active BC	In-Active BC	No. of B.C. completed IIBF Course	No. of remaining B.C. for completion of IIBF Course
1	SBI	103	99	4	101	02
2	PNB	27	25	2	24	03
3	Bank of Baroda	122	117	5	103	19
4	Bank of India	21	21	0	17	04
5	Axis Bank	631	396	235	328	303
6	HDFC Bank	178	134	44	87	91
Total		**1082**	**792**	**290**	**660**	**422**

Source : CSC e-governance

- वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम त्रैमास तक बैंकों के 3403, आई.पी.पी.बी. के 56 तथा CSC e-governance के 660 बी.सी. द्वारा B.C. Certification Course पूर्ण किया गया है।

(ख) बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित गाँव :

(i) वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 02.08.2023 को प्राप्त ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में जन धन दर्षक ऐप के अनुसार निम्नांकित 04 गांवों को बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित दिखाया गया है :

District Name	Sub District Name	Village Code	Village Name	Total Population	Allocated Bank	Allocated Sponsored Bank
Uttarkashi	Rajgarhi	040285	Jakhali	82	IPPB	Indian Post Payment Bank
Chamoli	Joshimath	040829	Dumak	311	BOB	Bank of Baroda
Rudraprayag	Ukhimath	042054	Garuriya	10	SBI	State Bank of India
Bageshwar	Kapkot	050517	Bor Balra	324	IPPB	Indian Post Payment Bank

- बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित उपरोक्त 04 गांवों में से 02 गांव आई.पी.पी.बी. द्वारा आच्छादित कर दिये गये हैं तथा षेष 02 गांव (ग्राम डुमक, जिला चमोली एवं ग्राम गरुरिया, जिला रुद्रप्रयाग) को आच्छादित करने की प्रक्रिया प्रगतिषील है।
- IPPB से आग्रह है कि आच्छादित गांव Jakhali एवं Bor Balra को जन–धन दर्षक ऐप में अपडेट करें।

(ii) अंतर राज्य परिषद, सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्रेषित पत्रांक D.O. No. 5/1/2021-ZCS(C) दिनांक 28.08.22 के अनुसार बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित राज्य के 44 गांवों विषयक निम्नवत अवगत कराना है :

1	44 गांवों में दिसम्बर, 2023 तक 4G Saturation Scheme of USOF के अंतर्गत कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दूरसंचार विभाग (DoT) की येाजना है।
2	44 गांवों में से 21 गांवों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हो जाने के 2.5 से 3 माह के भीतर बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध करा दिये जाने की योजना है।
3	अवषेष 23 गांवों (44–21) को ग्रामीण बचत केन्द्र, जो कि निबन्धक, सहकारिता के क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रचालित किये जाते हैं, के माध्यम से बैंकिंग सुविधायें प्रदान की जा सकती है।

इसी अनुक्रम में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा सचिव, अंतर–राज्य परिषद, सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है कि क्या बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित षेष 23 गांवों को ग्रामीण बचत केन्द्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से आच्छादित किया जाना भारत सरकार की बैंकिंग सुविधायें हेतु Brick & Mortar षाखाओं की परिभाषा से प्रावृतित (cover) होता है।

(ग) Aspirational Blocks :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ई–मेल दिनांक 02.08.2023 के अनुसार नीति आयोग द्वारा राज्य के निम्नांकित छः ब्लाकों को Aspirational Block Programme (ABP) हेतु चयनित किया गया है :

Sr. No.	Name of District	Name of Block
1	Almora	Syaldey
2	Bageshwar	Kapkote
3	Haridwar	Bahadrabad
4	Pauri Garhwal	Duggada
5	US Nagar	Gadarpur
6	Uttarkashi	Mori

उपरोक्त जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों से आग्रह है कि वे उपरोक्तानुसार चयनित अंकित ब्लाकों के PMJJBY & PMSBY के साप्ताहिक प्रगति डाटा https://jansuraksha.gov.in/MIS/ पर अपलोड करें।

(घ) VIBRANT Villages :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ई–मेल दिनांक 10.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि VIBRANT Village Programme के अंतर्गत माननीय श्री जी. किषन रेड्डी, पर्यटन मंत्री, केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 09.04.2023 को ग्राम मुखवा, ब्लाक भटवाड़ी, जिला उत्तरकाषी के भ्रमण पर अवलोकन किया गया कि VIBRANT Villages वासियों को सरल एवं सुगमता से बैंक ऋण प्राप्त हो सके। माह अगस्त, 2023 तक ग्राम मुखवा में 118 आवेदकों को रु. 2.08 करोड़ के ऋण बैंक द्वारा वितरित किये गये हैं।

(ङ) Special DLRC Meeting & Identification of Credit-Deficient Districts :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक F.No.6/35/2023-FI-Mission Office दिनांक 10.07.2023 द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है :

- राज्य के प्रत्येक जिले में दिनांक 15.07.2023 से 15.08.2023 तक Special DLRC की बैठक आयोजित की जाय, जिसमें क्षेत्र के माननीय सांसद को आमंत्रित किया जाय। इसी अनुक्रम में अवगत कराना है कि अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा DLRC की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें क्षेत्र के माननीय सांसद/विधायकों को आमंत्रित किया गया है। जिला नैनीताल में माननीय विधायक श्रीमती सरिता आर्य एवं जिला चमोली में माननीय विधायक श्री भोपाल राम टमटा द्वारा बैठक में प्रतिभागिता की गयी है।
- अल्मोड़ा, बागेष्वर, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं टिहरी गढ़वाल जिलों में ऋण–जमा अनुपात कम है तथा इन जिलों का ऋण–जमा अनुपात बढाने हेतु दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 तक क्रेडिट आउटरीच कैम्प का आयोजन किया गया है।

(च) Expanding and Deepening of the Digital Payments Ecosystem :

- वित्तीय समावेषन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत पत्रांक F.No.6/35/2023-FI-Mission OfficeFIDD.CO.LBS.No.S704/02.01.014/2023-24 दिनांक 09.08.2023 द्वारा समस्त संबंधित हितधारकों के परामर्ष से उपरोक्त कार्यक्रम का विस्तार बढ़ाने हेतु राज्य के अन्य समस्त जिलों को षत प्रतिषत डिजिटल रुप से सक्षम बनाने की दिषा में सार्थक प्रयास करने के लिए सूचित किया गया था।
- इसी अनुक्रम में अवगत कराना है कि षत प्रतिषत डिजिटाईजेषन हेतु चार जिलों (अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ एवं पौड़ी) को पूर्व में चयनित किया गया था तथा अवषेष नौ जिलों को वहां पर कार्यरत अग्रणी बैंक को आवंटित कर दिया गया है, जिसे पूर्ण करने की तिथि माह दिसम्बर, 2025 निर्धारित की गयी है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राज्य के तीन जिलों यथा : हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम षत प्रतिषत डिजिटाईजेषन किया जायेगा।

(ii) सामाजिक सुरक्षा योजना :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देषानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पी.एम.जे.डी.वाई., पी. एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक खाताधारकों को योजना अंतर्गत आच्छादित किया जाय। **(Annex. - 16)**

योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए बैंकों द्वारा दिनांक 30.06.23 तक निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

योजना	आच्छादित खातों की संख्या		Increase	Increase %
	As on 31.03.23	As on 30.06.23		
पी.एम.जे.डी.वाई खाता संख्या (PMJDY)	33,83,578	34,34,595	51,017	1.50
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	28,78,478	30,07,690	1,29,212	4.49
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	8,29,556	8,82,010	52,454	6.32
अटल पेंषन योजना (APY)	5,87,787	6,21,526	33,739	5.74

(**Source** : PMJDY - F.I. Plan Portal , PMSBY & PMJJBY- Banks, APY - PFRDA)

उपरोक्त आंकड़ों में पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों के अतिरिक्त अन्य खाताधारकों के आंकड़े भी पी.एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई. योजना अंतर्गत सम्लित हैं।

(iii) जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान :

(दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 तक)

संतृप्तता अभियान दिनांक 31.07.2023 तक बढ़ा दिया गया था।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 तक प्रधानमंत्री जीवन–ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) अंतर्गत संतृप्तता हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित किये गये हैं। योजना अंतर्गत ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक ग्रामीणों, प्रधानमंत्री आवास योजना (षहरी एवं ग्रामीण) के लाभार्थी, मनरेगा कर्मचारी, एस.एच.जी के सदस्य, पी.एम.किसान सम्मान निधि के लाभार्थी तथा अन्य लोगों को योजना अंतर्गत संतृप्त किया गया है।

जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान अंतर्गत दिनांक 30.09.2023 तक दर्ज प्रगति निम्नवत है :

Total No. of GPs	No. of GPs covered	GPs cover %	PMJJBY Sourced	PMJJBY Opened	PMSBY Sourced	PMSBY Opened
7,791	7,143	91.68	1,07,770	65,437	2,32,444	1,54,498

PMJJBY			PMSBY		
Active Enrolments Target	Active Enrolments	Active Enrolments %	Active Enrolments Target.	Active Enrolments	Active Enrolments %
10,90,000	7,16,353	65.72	31,67,000	25,44,229	80.34

(Source : FI Plan Portal)

संतृप्तता अभियान अंतर्गत राज्य की कुल 7791 ग्राम पंचायत में से 7143 ग्राम पंचायत को कबर किया गया है, जो कि कुल ग्राम पंचायत का 92 प्रतिषत है। अवषेष गांवों में संतृप्तता का कार्य प्रगतिषील है।

(iv) वित्तीय साक्षरता हेतु केन्द्र (CFL) :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वित्तीय समावेषन के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019–2024 के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय फेज में राज्य के समस्त जिलों के 32 केन्द्रों में प्रायोजक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा) के सहयोग से CRISIL Foundation (implementing NGO) द्वारा सी.एफ.एल. केन्द्र की स्थापना की गयी है, जो कि अपने केन्द्र के नजदीक दो अन्य ब्लाकों को कवर करेंगे। अतः राज्य के 95 ब्लाक कवर कर दिये गये हैं।

Progress as on 30.06.2023 :

Camps		Meeting		No. of applications source			
No. of Camps	Participant	Awareness Meeting / Training	No. of Participant	PMJDY	PMSBY	PMJJBY	APY
3789	69865	4424	49340	641	3536	1546	348

(v) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) :

राज्य में 16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी जून, 2023 त्रैमास की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत है :

Sr. No.	District	FLC Trainer	Name of Sponsoring Bank	FLC Manager				Rural Branches	
				No. of Sepcial Camps	participant	No. of specific Camps	Participants	Camps	
1	Uttarkashi	LDM	SBI	6	149	16	324		302
2	New Tehri	FLC	SBI	9	203	22	551		215
3	Chamoli	LDM	SBI	6	177	15	513		122
4	Champawat	FLC	SBI	6	508	15	438		750
5	Bageshwar	FLC	SBI	9	407	28	810		179
6	Pithoragarh	LDM	SBI	7	152	15	333		197
7	Rudraprayag	FLC	SBI	6	172	27	1069		125
8	Pauri	FLC	SBI	10	177	15	240		385
9	Almora	FLC	SBI	6	162	15	442		149
10	Dehradun	Hired Trainer	PNB	6	84	22	820		180
11	Haridwar	Hired Trainer	PNB	6	151	15	337		185
12	Nainital	Hired Trainer	BOB	VACANT	VACANT	VACANT	VACANT		215
13	US Nagar	Hired Trainer	BOB	8	277	17	447		478
14	Tehri	Hired Trainer	UGB	6	58	12	157	Rural Camps	**3482**
15	Nainital	Hired Trainer	UGB	7	200	15	386	Special Camps	104
16	US Nagar	Hired Trainer	UGB	6	287	15	513	Specific Camps	264
	TOTAL			**104**	**3164**	**264**	**7380**	**Total Camps**	**3850**

(Source : LDMs)

- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा जून, 2023 त्रैमास में **3850** कैम्पों का आयोजन वित्तीय साक्षरता हेतु किया गया है, जिसमें **10544** प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया हैं।
- वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय साक्षरता काउंसलर/अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा प्रत्येक माह 02 Special एवं 05 Specific कैम्प आयोजित किये जाते हैं तथा ग्रामीण बैंकों की षाखाओं द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय षनिवार को एक कैम्प आयोजित किया जाता है।

एजेण्डा संख्या – 7 :

NABARD Agenda :

1. Financial Inclusion :

NABARD has sanctioned an amount of ₹2.53 crore during FY 2023-24 as grant support to various banks for various financial inclusion initiatives viz: Financial and Digital (FiDGi) Literacy camps, Handheld projectors, Positive Pay System, micro-ATM deployment, examination fees of BC/BF and Phase II CFLs. In spite of awareness among all stakeholders, only ₹0.24crore could be released during the year so far.Banks need to increase the off-take of FIF in their area of operation.

- Following Banks may ensure conduct of FiDGI camps sanctioned to them in FY 2022-23 and submit claims complete in all respects:

(₹in lakh)

S.N.	Name of Bank	Sanctioned Amount	No. of Units sanctioned	Released Amount	No. of programs conducted
1	Uttarakhand State Co-op. Bank	3.60	60	0.36	26
2	Bank of India	6.24	104	0.00	Nil
3	IPPB	10.80	180	2.03	102
4	SBI AO-3 Dehradun	6.12	102	0.00	Nil

- Grant support of ₹ 4.50 Lakh per RUDSETI/RSETI is available under Financial Inclusion Fund (FIF). Grant has been sanctioned to RSETI Champawat, RSETI Chamoli and RSETI Rudraprayag till date. Other banks may avail of the assistance for remaining RUDSETIs/RSETIs.

- **Upscaling of Centre for Financial Literacy (CFL) :**
  ₹6.24crore have been sanctioned for 16 CFLs under Phase II for grant support under Financial Inclusion Fund (FIF). Banks concerned - SBI, BoB and PNB – may submit the claims at the earliest.

2. Agriculture infrastructure Fund (AIF) :

An allocation of ₹ 785 crore has been made to Uttarakhand State under the scheme for a period of 4 years from 2020-21 to 2023-24.This scheme provides a medium to long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming through interest subvention and financial support. All loans under this scheme are eligible for interest subvention of 3% p.a. up to a loan limit of ₹2.00 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. The proposed duration of this scheme is 2020-21 to 2032-33. Further, credit guarantee fee is being borne by Govt. of India on behalf of loans disbursed by lending Institutions under the scheme.The main reasons for pendency/ rejection listed by banks are as under:

- DPR is incomplete or activities are not eligible under the scheme.
- Land is already mortgaged for another loan while as per bank circulars the land should be exclusively mortgaged to this project only.
- Incomplete details of the promoter, about activity, non-submission of required documents/ details by promoters, etc.

3. Capital linked Credit Subsidy Schemes :

- **Agri-clinic and Agribusiness Centers Scheme (ACABC):** ACABC scheme is being implemented by MoA& FW, GoI with NABARD acting as subsidy channelizing agency. The objectives of the scheme are to supplement efforts of public extension by providing extension and other services to farmers, to support agricultural development and create gainful self-employment opportunities to unemployed agricultural graduates etc. The scheme is operational for 2023-24. Banks may finance the eligible borrowers and submit the claims to NABARD.
- **Agri marketing infrastructure (ISAM) will be operational till 31.03.2026**
- **Pending refunds of a total of ₹1.079 crore** under GoI schemes, viz., PVCF and DPVCF - Interest Free Loans provided to Banks by NABARD in Uttarakhand. The undernoted banks may please initiate refunds immediately to NABARD, so that same could be refunded to GoI. In case despite all efforts the recovery of O/s is not forthcoming, then a certificate on banks letter head specifying reason for un-ability to repay the IFL may be submitted. The matter has been taken up by NABARD RO separately with Banks along with reminder. Bank wise details given below :
  i. SBI: ₹72,79,830/-
  ii. Union Bank of India: ₹16,30,085/-
  iii. PNB: ₹8,73,550/- (₹7,33,550/- for Zonal Office Dehradun and ₹1,40,000/- for ZO Agra)
  iv. Indian Bank: ₹7,92,200/-
  v. CBI: ₹1,54,100/-
  vi. UGB: ₹51,464/-
- All banks are requested to give utilisation certificate from banks in r/o subsidy released.

4. Progress under CSS-FPOs in the state as on 31.07.2023 are as under :

Sr.	Particulars	NABARD	NAFED	NCDC	NDDB	SFAC	TRIFED	UOCB	Total
1	FPOs Allocated (No. of FPOs)	30	28	26	4	47	2	11	**158**
2	Registration (No. of FPOs)	30	23	26	4	43	2	0	**128**
3	No. of shareholders	6483	2494	5662	718	3876	506	0	**19739**
4	Bank linkage-SB A/c opened (No. of FPOs)	30	23	25	4	40	2	0	**124**

5. Credit Guarantee Funds for CSS FPO :

- In order to ensure easy access & accelerate flow of institutional credit to FPOs at comparative rate from mainstream Banks and Financial Institutions, a dedicated Credit Guarantee Fund (CGF) has been created in NABARD, being maintained by NABSanrakshan Trustee Co. Pvt. Ltd., a dedicated trust floated by NABARD. Details of credit guarantee cover are as under :

Sr. No.	Loan Upto	Credit Guarantee	Guarantee Fee
1	Upto₹ 1.00 crore	85%	0.75%
2	Above ₹1.00crore – upto₹2.00crore	75%	0.85%

The credit guarantee cover will be limited to the project loan of ₹2 crore (per FPO). In case of default, claims shall be settled up to 85% or 75 % of the amount in default subject to maximum cover as specified above. The Cover shall only be granted after the Eligible Lending Institute (ELI) enters into an agreement with NABARD and shall be granted or delivered in accordance with the Terms and Conditions decided upon by NABARD from time to time.

The Eligible Lending Institute (ELI) shall pay the Guarantee Fee upfront to NABARD within 30 days from the date of issue of sanction letter for CGC.

6. Farm Sector Development :

- **Credit access to the FPOs**: NABARD has promoted 134 FPOs in the state; however, only 70 have been credit linked till date. Banks may direct their branches to extend their support in providing loans/ CC limits to the eligible FPOs (50 of these FPOs are almost 05 years old and mature enough to absorb credit support from Financial Institutes).
- **WDF/Springshed/ IWMS/ TDF-** NABARD has been implementing 05 watershed development projects &10Springshed development projects spreading over10,074 ha in the state. 05 tribal development projects (TDP) are ongoing in the state. Besides, 02 JIVA projects for promotion of natural farming through agro-ecological approach are being implemented, in completed Watershed (Pauri) and TDP (Dehradun) projects of NABARD. Banks may explore possibility of financing eligible activities in these areas.

7. Off Farm Sector Development :

(a) Rural Haat- The eligible agency can submit proposal for grants assistance under Rural Haat scheme of NABARD.State Govt. / district administrationcan make a provision for space allocation for Rural Haats where weekly markets are functional. Potential areas for marketing of products could also be identified at district administration level.

(b) Skill Development- NABARD supports skill development programmes through RSETIs (sponsored by Banks) and other reputed Institutes. RSETIs/ Banks can approach NABARD to avail financial support for training being conducted by them.

8. Micro Finance

- **Formation of JLGs**
- 33,150 JLGs to be formed in FY 2023-24. SLBC may allocate district-wise targets for banks under advice to NABARD.
- NABARD provides a promotional grant assistance to banks for promotion of JLGs. Banks may explore the possibility of entering into aMoU with NABARD for promotion of JLGs Grant support is available for :
  Public Sector Commercial Banks – Rs.2000/JLG
  RRBs/Cooperative Banks/ Private Banks/ SFBs - Rs.4,000/JLG
- Following banks may ensure promotion and financing of JLGs sanctioned in the last three years under FIF :
  SBI – 1000 JLGs
  UGB – 2500 JLGs
  UKSTCB – 550 JLGs (150 JLGs by US Nagar, 100 JLGs each by DCCBs Chamoli, Haridwar, Pithoragarh and 50 JLGs each by DCCBs, Almoraand Nainital)

- **Village Level programmes (VLPs):** To boost the financial inclusion awareness, popularize various govt. schemes, increase bankers- SHGs interface and further strengthen the SHG- BLP, NABARD extends financial support for conducting VLPs through branches of Commercial Banks, RRBs and Co- operative banks across all the 13 districts of the State. NABARD reimburse ₹2000 per VLP for the purpose. Concerned banks are requested to issue necessary instructions to their branches to take advantage of VLPs forcreating awareness on SHG- BLP, financial literacy and promotion of other products.

  The progress on conduct of VLPs may be incorporate as a regular agenda in BLBC/ DCC/ DLRC Meetings.

9. Participation in NABARD programmes as PMIC member - NABARD sanctions skill upgradation programmes to NGOs and other eligible agencies. Bankers are one of the members of the Project Monitoring and Implementation Committee (PMIC) and are requested to ensure participation for necessary cooperation and convergence.

10. घर घर के.सी.सी. अभियान :

कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घर घर के.सी.सी. अभियान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक प्रारम्भ किया गया है। उक्त अभियान के अंतर्गत राज्य में कार्यरत बैंकों द्वारा किसानों की कृषि सम्बन्धित क्रियाकलापों हेतु के.सी.सी. जारी किया जायेगा। अभियान अंतर्गत कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SoP समस्त बैंकों को प्रेषित कर दी गयी है।

एजेण्डा संख्या – 8 :

कृषि ऋण :

(क) किसान क्रेडिट कार्ड :

Progress as on 30.06.2023 **(Amt. in Cr.)**

No. of KCC issued during quarter (including renewal)	Amt. Disbursed during quarter	Total No. of KCC as on end of current quarter	Outstanding amount as on end of quarter	Out of total No. KCC, No. of Rupay Card issued	No. of KCC issued in F.Y. 2023-24 (including renewal)	Amt. Disbursed in F.Y. 2023-24
79768	1233.12	574858	6362.54	229785	79768	1233.12

Source : SLBC Revamp Portal

वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम त्रैमास में बैंकों द्वारा 79768 के.सी.सी. निर्गत किये गये हैं, जिनमें रु. 1233.12 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है तथा त्रैमास जून, 2023 तक 574858 के.सी.सी. में रु. 6362.54 का ऋण वितरित किया गया है।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (KCC saturation Campaign) :

पषुपालन एवं डेयरी विभाग, पषुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पषुपालन एवं मत्स्यपालन किसानों के लिए माह नवम्बर, 2021 से AHDF KCC संतृप्तता अभियान प्रारम्भ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड – पशुपालन एवं मत्स्य पालन योजना अंतर्गत दर्ज प्रगति निम्नवत है :

(i) KCC – Animal Husbandry :

Progress	No. of applications received	No. of applications Accepted	No. of applications Sanctioned	Applications Rejected / Returned	Applications Pending
30.06.2023	119598	118410	82072	34616	1722

(Source :– Jan Surksha portal)

(ii) KCC – Fisheries :

Progress	No. of applications received	No. of applications Accepted	No. of applications Sanctioned	Applications Rejected / Returned	Applications Pending
30.06.2023	1648	1647	1099	451	97

(Source :– Jan Surksha portal)

जन सुरक्षा पोर्टल में के.सी.सी.–पशुपालन एवं मत्स्य पालन की प्रगति 15 बैंकों द्वारा दर्ज की जाती है ।

Reason for Rejection / Returned (KCC – AH & Fishries) :

Sr.	Reason for Rejection / Returned	KCC - Animal Husbandry	KCC - Fishries
		No. of Applicatins	No. of Applicatins
1	Already having KCC with some other Bank	4081	131
2	Already availed loan for same purpose from other Bank	204	---
3	NPA defaulter	3514	53
4	Application for purpose of cattle	348	---
5	Milch animal in possession / no space available for Cattle Shed	606	---
6	Applicant not tracable / unwilling to avail / unware about submission of application	21805	214
7	Members of family applying for KCC against same milch animal	259	---
8	Not a member of PACS	289	---
9	Wrong / incomplete application furnished	1858	15
10	Any other reasons	1652	30
	Total	**34616**	**451**

एजेण्डा संख्या – 9 :

विविध ऋण :

(क) एम.एस.एम.ई. :

योजनांतर्गत इकाईयों को वितरित ऋणों की सेक्टरवार MSME Disbursement निम्नवत है :

Progress as on 30.06.2023 **(Amt. in Cr.)**

Target	Micro Enterprises (Manufacturing + Services)		Small Enterprises (Manufacturing + Services)		Medium Enterprises (Manufacturing + Services)		Other Finance to MSMEs		Out of other finance to MSMEs above, loans upto 50 Cr. to Start-ups		Total		Progress
Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	%
17506	46678	3946.87	3940	3699.52	350	1316.04	245	9.97	0	0	51213	8972.40	51

(Source : SLBC Revamp Portal)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्धारित लक्ष्य रु. **17505.71** करोड़ के सापेक्ष 51213 इकाईयों को रु. **8972.40** करोड़ का ऋण वितरण किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का **51** प्रतिषत है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीद :

Electronic Negotiable Warehouse Receipts (e-NWR) :

देश में नेगोषिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट प्रणाली किसानों को अपने खेतों के पास गोदामों में सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के लिए अपनी उपज को स्टोर करने और अपने स्टॉक जमा करने के एवज में जारी किए गए नए NWR के लिए बैंकों से गिरवी ऋण लेने में सक्षम बनाती है। इसलिए NWR किसानों को पीक मार्केटिंग सीजन के दौरान कृषि उपज की संकटपूर्ण बिक्री से बचने और कटाई के बाद के भंडारण के नुकसान से बचने में सहायता करता है।

वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA), भारत सरकार वेयरहाउसिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेषन) एक्ट, 2007 के प्रावधानों के अनुसार NDR का कार्यान्वयन सुनिष्चित करती है।

e-NWR की विषेषतायें निम्नवत हैं :

- e-NWR केवल इलेक्ट्रॉनिक रुप में उपलब्ध है। e-NWR के लिए सूचना का एकमात्र स्रोत रिपॉजिटरी होगा।
- e-NWR की जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता रिपॉजिटरी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- एक e-NWR की एक समय वैधता होती है, जो कमोडिटी के षेल्फ–लाइफ के साथ को–टर्मिनस होती है या वेयरहाउस से पूरी तरह से कमोडिटी की वापसी होती है, जिसके बाद यह समाप्त हो जाती है।
- एक e-NWR को कुछ षर्तो के तहत नीलाम किया जा सकता है। जैसे कि ऋण चुकाया नही गया है, समाप्ति पर डिलीवरी नहीं ली गई है और गोदाम में वस्तु की क्षति या खराब होने पर।
- सभी e-NWR का ऑफ–मार्केट या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/एक्सचेंजों के माध्यम से कारोबार किया जा सकता है।
- e-NWR एक बार लेन–देन के साथ दर्ज हो जाने के बाद, चाहे वह प्रतिज्ञा हो या हस्तांतरण या निकासी, किसी अन्य उद्देष्य के लिए एक साथ उपयोग नही किया जा सकता है। इस प्रकार एक ही e-NWR का दोहरा उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

(ग) मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) :

ऊर्जा अनुभाग, उत्तराखण्ड षासन द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 385/I-I/2023-03/02/2020 (E-File No. 30740) दिनांक 13.03.2023 तथा 1058/I-I/2023-03/02/2020 (E-File No. 30740) दिनांक 06.07.2023 के अनुसार मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को वित्तीय एवं भौतिक रुप से व्यावहारिक बनाये जाने हेतु योजना में संषोधन किये गये हैं। उक्त अधिसूचना समस्त बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों को ई–मेल के माध्यम से एस.एल.बी.सी. द्वारा प्रेषित कर दी गयी है।

(घ) षिक्षा ऋण :

Progress as on 30.06.2023 **(Amt. in Cr.)**

Sanctioned during the year		Disbursed during the year		Education Loan outstanding	
No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
782	79.61	1590	38.26	20559	1011.47

Source : SLBC Revamp Portal

वित्तीय वर्ष 2023–24 में षिक्षा ऋण श्रेणी में 782 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 1590 ऋण आवेदन पत्रों में रु. 38.26 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

(ङ) प्रधानमंत्री आवास योजना (षहरी) के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत लाभार्थियों को आवास क्रय हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक :

प्रधानमंत्री आवास योजना (षहरी) के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद द्वारा रु. 6.00 लाख का आवास निर्माण कर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा रु. 1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु. 1.00 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, षेष राषि रु. 3.50 लाख लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। वर्तमान में 17304 आवास घटक योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

सम्बन्धित विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त योजना के लाभार्थी चूंकि अल्प आय वर्ग के होते हैं, इस कारण से वह एक मुष्त धनराषी उपलब्ध कराने में सक्षम नही होते हैं एवं बैंकों द्वारा उन्हे ऋण उपलब्ध नही कराया जाता है।

सम्बन्धित विभाग द्वारा सुझाव दिया गया है कि बैंक निर्मित आवासों को बन्धक कर लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

एजेण्डा संख्या – 10 :

ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :

राज्य का ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) **52%** है।

(Amt. in Cr.)

Sr.	COMPONENTS	As on 31.03.21	As on 31.03.22	As on 31.03.23	As on 30.06.23
1	Advances from Banks (Within State)	66466.00	72958	85563	86996
2	Advances from Banks (utilized in the state but sanctioned from outside the State)	10758.00	9929	9869	7550
3	RIDF	7920.00	8507	9123	9178
4	Total Advance (1+2+3)	85143.00	91394	104555	103724
5	Total Deposits	159856.00	176555	194013	197590
Credit Deposit Ratio (CDR) in Uttarakhand		**53%**	**52%**	**54%**	**52%**

Source : SLBC Revamp Portal

- समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे त्रैमास अंतराल पर outside finance के डाटा एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।
- जमा राषि में अग्रिम राषि की अपेक्षा अधिक बृद्वि होने के कारण राज्य का ऋण–जमा अनुपात कम रहा है।

जिलेवार ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) निम्नवत है :

(Rs. in Cr.)

Sr.	District	No. of Branch	FY 2020-21	FY 2021-22			FY 2022-23			FY 2023-24 (As on 30.06.2023)		
			C.D. Ratio%	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %
1	**Dehradun**	582	**38**	**72179**	**25330**	**35**	**80434**	**29624**	**37**	**81457**	**29371**	**36**
2	Uttarkashi	69	44	2459	1276	52	2723	1358	50	2743	1373	50
3	Hardwar	288	75	24313	16076	66	26630	18189	68	27354	18056	66
4	**Tehri**	145	**31**	**5958**	**1928**	**32**	**6624**	**2354**	**36**	**6802**	**2454**	**36**
5	**Pauri**	207	**24**	**10159**	**2682**	**26**	**10684**	**2891**	**27**	**11084**	**2932**	**26**
6	Chamoli	101	**71**	4112	2883	70	4552	2899	64	4731	2383	50
7	**Rudra Prayag**	54	**25**	**2284**	**643**	**28**	**2578**	**759**	**29**	**2739**	**755**	**28**
8	**Almora**	152	**24**	**7120**	**1858**	**26**	**7612**	**2017**	**26**	**7676**	**1981**	**26**
9	**Bageshwar**	56	**26**	**2185**	**575**	**26**	**2318**	**545**	**24**	**2347**	**544**	**23**
10	Pithoragarh	109	**42**	5167	2350	45	5388	2339	43	5480	2022	37
11	**Champawat**	65	**29**	**2669**	**894**	**34**	**2793**	**984**	**35**	**2809**	**969**	**34**
12	Nainital	264	42	**20393**	**5364**	**41**	22403	11492	51	22851	11621	51
13	U S Nagar	344	98	17556	18028	103	19276	19980	104	19518	20085	103

Source : SLBC Revamp Portal

- राज्य में ऋण–जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.06.2023 को गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

  – राज्य में big ticket size के कृषि एवं एम.एस.एम.ई. ऋण प्रदान करने से ऋण–जमा अनुपात बढ़ाया जा सकता है।

  – ऋण–जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु गठित DCC/Special Sub-Committee की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाय तथा बैठक में जिले के eco system में बदलाव पर चर्चा की जाय तथा उसी के अनुरुप जिले का District Credit Plan तैयार किया जाय।

  – कृषि क्षेत्र में AIF, National Live Stock Mission आदि योजनाओं के big ticket size ऋण प्रदान किये जांय।

  – पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत रु. 50.00 लाख तक के ऋण पर मार्जिन मनी सब्सीडी प्राप्त होती है तथा renewal with enhancement भी किया जा सकता है।

- राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेष्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत का ऋण–जमा अनुपात 40 प्रतिषत से कम है।

एजेण्डा संख्या – 11 :

Provision and Applicability of Shops & Establishment (S&E) Act on Banks :

Indian Banks' Association vide their Letter No. RB/MBR/S&E/11354 dated 14.07.2022 advise as under :

1. The provisions and applicability of Shops & Establishment (S&E) Act on Banks vary from State to State. It was observed that in some states, like the Govt. of Tamil Nadu, Public Sector Banks have been exempted while the Act is made applicable to other categories of Banks. There are many States where all Banks (including private and foreign Banks) are exempted from the purview of the Shops and Establishment Act while on the other hand some States / UTs, Banks in general are not exempted from the purview of the Act.

2. The matter was deliberated in the meetings of 'IBA Sectoral Committee of Private sector Banks' and the Managing Committee (MC) and subsequently it was taken up with Department of Financial Services (DFS), GoI seeking exemption of the applicability of the provision of the Act to all categories of Banks across all States / UTs, so that the same will improve ease of doing business.

3. DFS has in terms of their letter dated 02.05.2022 advised the Chief Secretary of all the State Government to examine the matter and suitably amend the provisions of the Act so as to exempt Banks from the applicability of the S&E Act in their State considering that the Banks are regulated by RBI and that many of the State Government have already exempted not only SBI and other Public sector Banks but also Private sector Banks.

4. We request to State Govt., If it is not exempt in the State, may consider exempting all Banks from the applicability of the S&E Act as advised by the DFS to the State Govt.

एजेण्डा संख्या – 12 :

Land Digitalization :

Cadstral Map Digitalization Status as on 10.06.2023 :

	District	Total Map Sheet	Village	Scanning Stage			Geo-Referencing & Digitization Stage				Map Validation Stage			Final Pring Stage	
				Deadline	Final Check list	Balance	Deadline	Final Sheet	Final Village	%	Deadline	Sheet	Final Village	Deadline	Final Village
A	Dehradun	2088	797		2003	61		1378	301	37.77		600	117		0
	Haridwar	638	643		638	0		597	523	81.34		500	470		0
	US Nagar	1322	684	28.02.23	1307	15		721	549	80.26		500	440		0
	Nainital	4927	1094		4804	103		1104	331	30.26		148	40		0
B	Chamoli	3307	1263		3291	16		237	67	5.30		0	0		0
	Rudrapraygag	2365	682		2301	9		507	102	14.96		0	0		0
	Tehri	9624	1868	15.03.23	9591	21	30.09.23	406	103	5.51	30.09.23	0	0	31.12.23	0
	Bageshwar	7408	910		7389	19		381	98	10.77		0	0		0
C	Champawat	7251	691		7187	26		2707	283	40.96		0	0		0
	Uttarkashi	7705	692	30.04.23	7686	19		303	89	12.86		0	0		0
	Pithoragarh	13199	1639		13003	196		307	107	6.53		0	0		0
Total of 11 District		**59834**	**10963**		**59200**	**485**		**8648**	**2553**	**23.29**		**1748**	**1067**		
D	Almora	16978	2251		0		30.06.23	8905	883	39.23					0
	Pauri	8004	3473		0		30.06.23	5698	1604	46.18					0
Total of 13 District		**144650**	**16687**		**118400**				**7593**	**45.50**					**0**

Source : Revenue Deptt.

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड से प्राप्त उपरोक्त सूचना अनुसार राज्य में कुल 16687 गावों में से 7593 गांवों का digitization हुआ है, जिसका प्रगति प्रतिषत 45.50 है।

एजेण्डा संख्या – 13 :

ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान (RSETIs) :

(i) Performance of RSETIs as on 30.06.2023 :

Achievement – Training Targets			Credit Linkage			
Target for June, 23 Quarter No. of Candidates	No. of Candidates Trained	% of Achievement against June, 23 Quarter	Self Settled as on 30.06.2023	Settled through Credit Linkage as on 30.06.2023	Total Settled	% of Total Settled
1812	2002	110%	780	469	1249	62

(Source of Data : State Director RSETIs)

- वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम त्रैमास में आरसेटी संस्थानों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 1812 के सापेक्ष 2002 प्रषिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण प्रदान किया गया है।
- प्रषिक्षण प्राप्त 1249 प्रषिक्षणार्थी settled हुये हैं।
- इनमें से 469 प्रषिक्षणार्थियों ने बैंकों से ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारम्भ किया है तथा 780 प्रषिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं के साधनो से अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।

(ii) Reimbursement of Training Expenses :

As on 30.06.2023

RSETIs	Pending Claims		Total
	2021-22	2022-23	
13 RSETIs of Uttarakhand	76,80,178	2,94,00,063	3,70,80,241

(Source : Directors RSETIs)

- षासन से अनुरोध है कि वे ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा प्रषिक्षण पर किये गये व्यय की लम्बित राषि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभागों से करवाने की कृपा करें।

एजेण्डा संख्या – 14 :

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) :

राज्य में खरीफ 2023 से रबी 2025–26 तक के लिए उत्तराखण्ड षासन के पत्रांक 675 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन क्षेमा जनरल इष्योरेंस लि. के माध्यम से किया जा रहा है।

- संसूचित फसलें – खरीफ में फसल चावल एवं मण्डुवा तथा रबी में फसल गेहूं तथा मसूर।
- कृषकों द्वारा देय प्रीमियम – खरीफ फसलों हेतु अधिकतम 2.00 प्रतिषत तथा रबी फसल हेतु अधिकतम 1.5 प्रतिषत।
- आच्छादन की तिथि – खरीफ हेतु 01 अप्रैल से 15 जुलाई तथा रबी में 01 अक्टूबर से 15 दिसम्बर।
- संसूचित इकाई – फसल धान, मण्डुवा तथा गेहूं ग्राम पंचायत स्तर पर तथा फसल मसूल हेतु जनपद स्तर।
- पोर्टल पर बीमित कृषकों का विवरण अपलोड करने की अन्तिम तिथि – खरीफ हेतु 30 जुलाई तथा रबी हेतु 30 दिसम्बर।

बीमा योजना के दिषानिर्देषानुसार पोर्टल पर अपलोड कृषक ही बीमित माने जायेंगे। अतः वे सभी कृषक जिनका संसूचित फसल हेतु कट आफ डेट तक प्रीमियम काटा गया है, का विवरण अनिवार्य रुप से पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023–24 की प्रगति :

(धनराषी लाख में)

पोर्टल पर अपलोड एप्लीकेषनों की संख्या			बीमित क्षेत्रफल (हे. में)	बीमित धनराषी	कृषकांष	राज्यांष	कुल प्रीमियम
ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	योग					
4070	14713	18783	3407.24	2318.85	46.38	10.92	112.17

(Source : Directorate of Agriculture, Uttarakhand)

एजेण्डा संख्या – 15 :

बाजार की बुद्विमत्ता **(Market Intelligence)** :

Ponzi Schemes/Illegal Activities of Unincorporated Bodies/Firms/Companies Soliciting Deposits from Public :

वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम त्रैमास में इस विषयक अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं राज्य में कार्यरत बैंकों से एस.एल. बी.सी. को कोई जानकारी प्राप्त नही हुयी है।

एजेण्डा संख्या – 16 :

RBI Presentation on SLBC Functioning.

एजेण्डा संख्या – 17 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।